5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R 485-PBR/17

रामदेवसिंह पिता शिवबदनसिंह गौतम

निवासी ग्राम लेबड तहसील व जिला धार ....निगरानीकर्ता

बनाम

1— शैलेन्द्रसिंह

2— भुरू खां

3— प्रमिलाबाई

4— इकबाल खां

सभी निवासी काका कालोनी लेबड चौराहा लेबड तह. व जिला धार

5. म0 प्र0 शासन द्वारा पटवारी हल्का ....विपक्षीगण

श्री ... द्वारा आज दि 3.2.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.2.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

D Chaturvedi 03.02.17

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा मे निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि जो कुछ भी भूमियां सर्वे नंबर 235/1, 235/4, 241 रकबा क्रमशः 0.379, 0.379, 0.291 हैक्टर होकर उक्त भूमि अतिरिक्त भूमि आदि के संबंध में किसी प्रकार का विवाद किसी भी नेचर का न हो इसको ध्यान में रखते हुए विधिवत कार्यवाही तहसीलदार महोदय धार के समक्ष पेश होकर प्रकरण क्रमांक 20/2014–15/अ–12 में आज्ञा दिनांक 19.05.2015 को व बाद में संबंधित राजस्व निरीक्षक व पटवारी हाजा को सूचित होकर सभी नंबरान का विधिवत सीमांकन कराया तत्समय यथाकथित शिकायतकर्ता व अन्य ने भी जानकारी ली व वह कार्यवाही में विधिवत पंचनामा रिपोर्ट होकर अंतिम आज्ञा हुई जो दिनांक 30.06.2015 की है इस प्रकार शासन की जानकारी में तहसील की जानकारी में यह सारे प्रपत्र अपने कब्जे रखे व विधिक मानकर उनके दायरा रजिस्टर में उक्त प्रकरण दर्ज कर आज्ञा दिनांक 30.06.2015 मुजब अंतिम हुई। अतः उसके बाद उन्ही तहसीलदार महोदय ने राजनितिक द्वेषता के कारण नोटिस क्रमांक 254/री–1/2017 दिनांक 20.01.2017 का कोई जो पूर्व में हुई कार्यवाही जो उन्होने स्वयं ने करी निर्णय लिया व उसकी सत्यता को स्वीकार किया व अंतिम आज्ञा पारित की व उसकी अपील निगरानी आज दिनांक तक नही हुई स्वयं तहसीलदार महोदय ने उक्त आज्ञा विधिक नही है ऐसी दशा पुनः बिना वरिष्ठ की मंजुरी के बिना निर्धारित अपील के निगरानी के अथवा पुनर्विचार के जिनकी सभी की निर्धारित अवधि विधि से जो

द: रामदेवसिंह

कुछ भी थी वह समाप्त हो गई है 30 दिन 45 दिन 90 दिन 180 दिन जो माननीय म0प्र0 हाईकोर्ट ने कहा है व अन्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय उदाहरण है उन सबको अनदेखा करके उन्हे तत्संबंधी नोटिस कार्यवाही का प्रारंभ व पत्र पर से कार्यवाही दिनांक 20.01.2017 का स्थगन प्रारंभ व रोक व पुनः दूसरी पूर्व आज्ञा के विपरीत करेगे तत्संबंधी आज्ञा विचाराधिकार रहित है एबिनोशियोवाईड है कार्यवाही का प्रारंभ सुनवाई दर्ज समस्त विचाराधिकार रहित है कार्यवाही के प्रारंभ को प्रोसिड को आगे अन्य की पूर्व की कार्यवाही स्टापल रेसज्युडिकेटा आर्डर 2 रूल 2 टेनेबिलिटी मियाद आदि की बाधा लिये हुए है अतः कार्यवाही का प्रारंभ जो तहसीलदार महोदय धार ने ग्राम लेबड की भूमि के संबंध में कर रहे है व स्थगन जारी किया है यह सब बिना सुने है बिना वरिष्ठ की मंजुरी के है इसे निगरानी में लेकर यह निगरानी ज्ञापन अभ्यावेदन निगरानी में लेकर कार्यवाही तहसीलदार महोदय तहसील धार की जो क्रमांक 254/री–1/2017 दिनांक 20.01.2017 की अपास्त बाबद यह निगरानी अर्ज है यह अभ्यावेदन यह ज्ञापन विधि अनुसार पेश है जिसके आधार निम्न है अगर निगरानी मे सुनने में कोई कानूनी बाधा है तो स्वयंमेव अधिकारो का उपयोग कर यह अभ्यावेदन स्वीकार किये जाने बाबद सुपर विजन पावर का उपयोग कर सुनवाई में लिये जाने बाबद अधिकार रहित कार्यवाही पूर्व आज्ञा की जानकारी रखने के बाद उसे अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :–

(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 485-PBR/17 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–7–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । संदर्भित आदेश तहसीलदार द्वारा कानून व्यवस्था की दृष्टि से निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिये गये हैं, जो प्रशासकीय प्रकृति का आदेश है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	